

(२)

में यह भी प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारणों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधारण का पता नहीं चलता है। निम्न व्यक्ति में तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया-

अनु II के अनुसार सन 1986-87 5-18 लम्ब-मो-चा डिम्बर भूमि 379 माल 4 मुद्र प्रमाण

(हरसाक्षर)

Shilpa Chandra

(परनाम)

Shilpa Chandra

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने कि

(हरसाक्षर)

श्री लक्ष्मी

(परनाम)

श्री लक्ष्मी

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय जिला

तारीख 18-5-18 मुहर



निबन्धन पदाधिकारी का हरसाक्षर

Shilpa Chandra

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधारण दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल व किये जायेंगे।

(२) निबन्धन की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उक्तकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विशिष्ट संपत्तियों के अवधारणों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेंगी

किन्तु, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अयोग्य तलाशी अपने भरोसे सावधानी से की है फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी पूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अयोग्य तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूँढ़े गये संव्यवहारों और अवधारणों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारणों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा। जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय जिला निबंधन, *21/11/18*

11/6/2 दिनांक *18.5.18*

प्रमाण पत्र सं०

11/6/2 दिनांक *18.5.18*

आवेदक श्री *Shilpa Chandra* के अधीन प्रमाण-पत्र द्वारा निबंधन

का उनके पत्र संख्या *92/3.5.18*

92/3.5.18 दिनांक के आलोक में अग्रसरित।

आपका

अनुसूची २१-पत्र संख्या १११
प्रमाण पत्र, सं. १११

तारीख सं. ११६२, २०१८
संस्थान में निर्वाचित संसदवादी और अनुसूचित जाति संसदवादी

Chandakshila, Appandura Kendu GCS

२०१५.११२८

अनुसूचित जाति संसदवादी और अनुसूचित जाति संसदवादी का निर्वाचन प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है कि निर्वाचन सही है।
अनुसूचित जाति संसदवादी और अनुसूचित जाति संसदवादी का निर्वाचन प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है कि निर्वाचन सही है।

अनुसूचित जाति संसदवादी और अनुसूचित जाति संसदवादी का निर्वाचन प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है कि निर्वाचन सही है।
अनुसूचित जाति संसदवादी और अनुसूचित जाति संसदवादी का निर्वाचन प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है कि निर्वाचन सही है।

नाम	(क) संसदीय जाति	निर्वाचन क्षेत्र	प्रमाण-पत्र का प्रकार और	सही में नाम		संस्थान में निर्वाचन के		
				निर्वाचक	संस्थान	निर्वाचक सं. १	सं. २	सं. ३
Chandakshila, Appandura Kendu GCS	अनुसूचित जाति	निर्वाचन क्षेत्र	प्रमाण-पत्र का प्रकार और	निर्वाचक	संस्थान	निर्वाचक सं. १	सं. २	सं. ३

- १। अनुसूचित जाति संसदवादी और अनुसूचित जाति संसदवादी का निर्वाचन प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है कि निर्वाचन सही है।
- २। अनुसूचित जाति संसदवादी और अनुसूचित जाति संसदवादी का निर्वाचन प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है कि निर्वाचन सही है।